जन – निजी भागीदारी हेतु मार्गनिर्देशिका

1. पृष्ठभूमि

जन परियोजनाओं जैसे कि सड़क, साफ–सफाई, जल प्रदाय, स्वास्थ्य, आदि को परंपरागत रूप से बजट के प्रावधानों से चलाया जाता है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात बजट के विभिन्न प्रावधानों में काफी इज़ाफा हुआ है, तथापि इन क्षत्रों के विकास तथा रखरखाव पर प्रावधान काफी अपर्याप्त हैं।

पिछले दशक के प्रारंभ से आर्थिक नीतियों में बदलाव आया है। इसके फलस्वरूप ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी कई परिवर्तन आए हैं। जन परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमों में भी संशोधन किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए विशेष स्कीम बनायी है, जिसका उद्देश्य अधोसंरचना को बेहतर ढंग से विकसित करना है। इस स्कीम के तहत सरकार दिशानिर्देश तथा मूल ढांचा उपलब्ध कराती है, जबकि निजी क्षेत्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

अधोसंरचना में जन–निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने VGF (Viability Gap Funding) नाम की स्कीम का ईजाद किया है। इसके तहत केंद्र सरकार निजी निवेशक को अधोसंरचना संबंधित परियोजनाओं में अनुमानित परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक अनुदान राशि उपलब्ध कराती है। म. प्र. सरकार ने भी ऐसी परियोजनाओं में 20 प्रतिशत तक अनुदान राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसा होने से वित्तीय रूप से संभवतः कम लाभप्रद परियोजनाएं भी निजी निवेशकों के लिए लाभप्रद तथा आकर्षक हो जाती हैं।

1.1 निजी निवेश की आवश्यकता

राज्य में जन–निजी भागीदारी की बढ़ती आवश्यकता के निम्नांकित कारण हैं –

- सीमित बजटीय संसाधन

  विकास की आवश्यकताओं के अनुपात में बजटीय प्रावधान काफी सीमित होने के कारण विकास कार्यों के निष्पादन हेतु निजी निवेश की अत्यंत आवश्यकता है।

- कार्यकुशलता में वृद्धि

  निजी क्षेत्र के प्रवेश से परियोजनाओं को लागू करने में कार्यकुशलता आएगी। साथ ही इससे समय तथा लागत की बचत होगी।

- नवीनतम डिज़ाइन तथा निर्माण प्रक्रिया का प्रयोग

  समय तथा लागत की बचत करने के उद्देश्य से अधोसंरचना के क्षेत्र में नवीनतम डिज़ाइन तथा निर्माण प्रक्रिया का प्रयोग होगा।

- बेहतर रख–रखाव की सुनिश्चितता

  कन्सेशन की समयावधि में निजी भागीदार को परियोजना का पूर्व–नियोजित ढंग से रख–रखाव करना होगा।

2. उद्देश्य

- इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता, नव–निर्माण तथा लचीलेपन का लाभ उठाने में सहायक वातावरण बनाया जाये, जिसके द्वारा बेहतर अधोसंरचना तथा सेवाएं युक्तियुक्त कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकें।
- पारदर्शी, एकरूप तथा कार्यकुशल प्रशासनिक पद्धति का विकास किया जाये जिससे सभी प्रतिभागियों को समान अवसर प्राप्त हों तथा सभी के हितों का संरक्षण हो सके।
- जन–निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं को चिन्हित कर उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ाने में मदद करना।
- परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति हेतु कार्यकुशल तथा प्रभावी संस्थागत पद्धति का विकास करना।
- परियोजना की संरचना में जोखिम बांटने हेतु आवश्यक ढांचा प्रदान करना, जिसके द्वारा जोखिम उस साझेदार के हवाले की जाये जो उसके प्रबंधन हेतु सबसे सक्षम हो।
- जन–निजी भागीदारी हेतु ठोस विवाद निराकरण प्रक्रिया/नियंत्रणकारी ढांचे का निर्माण करना।
- जहां अत्यावश्यक परियोजनायें लाभप्रद ना हों, वहां आवश्यक VGF उपलब्ध कराना।

3. अधोसंरचना क्षेत्र

अधोसंरचना के क्षेत्र जो शामिल किये गये हैं (जिसमें समय–समय पर परिवर्तन किया जा

सकता है) –

- सड़क, पुल तथा बाय–पास।
- हवाई–अड्डे, हवाई–पट्टी तथा हेलीकॉप्टर–पट्टी।
- अन्तर्देशीय Container डिपो तथा भंडारण केन्द्र।
- औद्योगिक पार्क, थीम पार्क जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ज्ञान पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा नगर निर्माण।
- जल प्रदाय, शोधन तथा वितरण।
- विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण प्रणाली।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- सीवेज तथा साफ–सफाई।
- अन्तर्देशीय जल परिवहन।
- पर्यटन तथा संबंधित अधोसंरचना।
- अन्तर्राष्टीय समागम केंद्र।
- शहरी परिवहन तंत्र।
- रेल्वे तथा संबंधित परियोजनायें।
- कोई अन्य क्षेत्र/सुविधा, जो सरकार द्वारा शामिल की जाये।

4. वैधानिक ढांचा

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जन–निजी भागीदारी से संबंधित परियोजनाओं के लिये एक राज्य–स्तरीय समिति का गठन किया गया है। VGF की आवश्यकता वाली सभी जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं को राज्य–स्तरीय समिति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति देने हेतु कई परिपत्र जारी किए हैं। यह सभी इस वेब साइट पर उपलब्ध हैं –

http://www.dif.mp.gov.in/ppp_main.htm

5. नीति–निर्धारक संस्था

म.प्र. में जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर समन्वय का कार्य संचालनालय संस्थागत वित्त (पी.पी.पी. प्रकोष्ठ), वित्त विभाग, म. प्र. शासन, विंध्याचल भवन, भोपाल का है।

5.1 पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का रोल

पी.पी.पी. प्रकोष्ठ एक नोडल ऐजेंसी है जो अधोसंरचना विकास के राज्य सरकार के सभी प्रयासों में समन्वय स्थापित करेगी, जिसमें निजी सहभागिता तथा विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण सम्मिलित है।

5.2 पी.पी.पी. प्रकोष्ठ के कार्य

इनमें शामिल हैं –

- जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना, परियोजनाओं को चिन्हित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना तथा VGF प्रदाय करने हेतु कार्यवाही करना।
- विभिन्न क्षेत्रों हेतु विविध प्रादर्श दस्तावेज़ तैयार करना।
- VGF हेतु परियोजनाओं की अनुशंसा करना।
- अधोसंरचना परियोजनाओं के विकास में मदद करने हेतु प्रस्तावित परियोजना विकास कोष का प्रबंधन करना, ताकि परियोजनाओं के विकास हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध हो सके।
- राज्य–स्तरीय समिति को परियोजनाओं की अंतिम निविदा की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना।
- राज्य–स्तरीय समिति को परियोजनाओं के लिये विशेष अनुदान तथा छूट के संबंध में अनुशंसा करना।
- इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु अन्य विभागों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
- किसी भी जन–निजी भागीदारी परियोजना के क्रियान्वयन, परिचालन तथा प्रबंधन की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग का अधिकार।
- परियोजना की आवश्यकतानुसार उपयुक्त नियामक तंत्र तथा ठोस शिकायत निराकरण प्रक्रिया के निर्माण हेतु विशेष कानून बनाने की अनुशंसा करना।
- विभिन्न दस्तावेज़ों का अनुमोदन करना, जिनमें कन्सेशन अनुबंध भी शामिल है।

6. क्रियान्वयन एजेंसी

राज्य सरकार का संबंधित विभाग/स्थानीय निकाय/स्वायत्त संस्थान क्रियान्वयन एजेंसी का कार्य करेगा।

7. निजी निवेश के लिए परियोजना की पहचान करना

निजी निवेश हेतु जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं की पहचान करने में सामान्यतः यह सिद्धांत अपनाए जाएंगे –

- परियोजना कंडिका क्रमांक 3 में उल्लेखित परियोजनाओं में से किसी एक श्रेणी में आती हो।
- परियोजना समुचित Internal Rate of Return (IRR) दे सकने में सक्षम है। दिशानिर्देशानुसार सरकारी सहायता को IRR की गणना में शामिल किया जाएगा।

8. जन–निजी भागीदारी परियोजना के प्रमुख बिंदु

जन–निजी भागीदारी परियोजना अर्थात ऐसी परियोजना जो एक सरकारी अथवा वैधानिक निकाय तथा एक निजी क्षेत्र की कंपनी के मध्य अनुबंध अथवा कन्सेशन अनुबंध पर आधारित हो। जन–निजी भागीदारी परियोजना के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं –

- कन्सेशन की नियत अवधि।
- उपयोगकर्ता से पूर्व–निर्धारित शुल्क/यूज़र चार्जेज़।
- निजी उद्यमी के लिये पूर्व–निर्धारित कार्य का दायरा (क्षेत्र)।
- पूर्व–निर्धारित निविदा के मापदण्ड जैसे कि VGF/प्रीमियम/राजस्व बंटवारा/लीज़ भाड़ा।
- अंतिम निविदा आमंत्रित करने से पहले सभी शर्तें, विवरण तथा परियोजना के अनुबंध अंतिम रूप में होने चाहिये।
- परियोजना हेतु आवश्यक भूमि क्रियान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध होनी चाहिये।

9. क्रियान्वयन एजेंसी का सहयोग

9.1 क्रियान्वयन एजेंसी निम्नांकित कार्यों का व्यय वहन करेगी –

- लाभप्रदता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- ज़मीन तथा उससे जुड़ी सुविधाएं।
- भूमि से संबंधित स्वीकृतियां : जन–उपयोगी सेवाओं का पुनर्स्थापन, पेड़ों की कटाई, प्रभावित इकाईयों का पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास।
- पर्यावरणीय स्वीकृतियां।

तथापि क्रियान्वयन एजेंसी इन कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल कर सकता है जिससे इनको पूर्ण करने में देरी ना हो।

9.2 वित्तीय लाभप्रदता को देखते हुए क्रियान्वयन एजेंसी निजी भागीदार को अनुदान राशि दे सकती है। इसका निर्धारण केवल प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के द्वारा किया जाएगा।

9.3 वित्तीय लाभप्रदता को देखते हुए निजी भागीदार द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को ऋणात्मक अनुदान (Negative Grant)/प्रीमियम राशि दी जा सकती है। इसका निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के द्वारा किया जाएगा।

9.4 पी.पी.पी. परियोजना के सरकार को लाभ –

- अधोसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना, जिससे पूंजी के नये स्रोत मिलेंगे तथा प्रत्यक्ष सार्वजनिक व्यय कम होगा।
- राज्य के संसाधनों को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा परियोजनाओं में लगाया जा सकता है।
- परियोजना के जोखिमों का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण।
- निजी क्षेत्र से संबंधित नव–निर्माण तथा कार्यकुशलता का लाभ उठाना।
- अनुभवी तथा ऋण देने लायक प्रायोजकों एवं देनदारों का सीधा सरोकार, जिससे परियोजना की लाभप्रदता सुनिश्चित हो जाती है।
- प्रगत्त प्रौद्योगिकी तथा दक्षता का प्रयोग।
- स्थानीय व्यवसायिक अवसरों का विकास।
- अधोसंरचना के क्षेत्रों का रणनीतिक विकास।

10. क्रियान्वयन की प्रक्रिया

जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मोटे तौर पर यह कदम होंगे –

1. शुरुआती कार्यों की पूर्णता, जो परियोजना को चिन्हित करने तथा क्रियान्वयन में आवश्यक होंगे।
2. निविदा दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देना।
3. निविदा का आमंत्रण।
4. निविदा–पूर्व बैठक।
5. निविदाओं का आंकलन।
6. कन्सेशन का कार्यादेश।
7. अनुबंध पर हस्ताक्षर।

8. Financial Closure.
9. परियोजना का क्रियान्वयन।

क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया संलग्निका 'अ' में दी गयी है।

11. कन्सेशन की अवधि

इस अवधि में सम्मिलित है –

1. निर्माण काल, जो परियोजना–विशिष्ट होगा तथा
2. वह समय जिसमें निजी भागीदार को शुल्क की वसूली की अनुमति होगी तथा साधनों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी होगी, जिसका निर्धारण लाभप्रदता के आधार पर किया जायेगा तथा यह अधिकतम 30 वर्षों का हो सकता है। तथापि कुछ परिस्थितियों में, जहां प्राप्तियों में ज़्यादा समय लगने की संभावना हो, लाभप्रदता हेतु इससे लम्बी कन्सेशन की अवधि पर विचार किया जा सकता है।
3. निर्मित संपत्ति शासन को हस्तांतरित करना :– कन्सेशन की समयावधि समाप्त होने पर निजी भागीदार को परियोजना के अंतर्गत निर्मित संपत्ति विभाग को उसी रूप में वापस करनी होगी जिस दशा में उसका निर्माण हुआ था।

कन्सेशन की अवधि को किसी अप्रत्याशित घटना के चलते समुचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि निजी भागीदार परियोजना का निर्माण उपर (1.) में तय अवधि से पहले कर लेता है तो वह निर्माण में शेष रह गये समय में प्रयोगकर्ता से सामान्य परिचालन अवधि के अलावा शुल्क की वसूली कर सकता है। यदि निजी भागीदार निर्माण की तय तिथि से देर से निर्माण पूर्ण करता है तो उसकी शुल्क वसूलने की अवधि उसी अनुपात में घट जायेगी तथा वह दंड का भागी होगा।

12. परियोजना का निर्माण

निजी भागीदार को निर्माण की नियत अवधि में अनुबंध में तय मानकों तथा विवरणानुसार कार्य को पूर्ण करना होगा। किसी भी प्रकार की देरी हेतु निजी भागीदार को ही ज़िम्मेदार माना जायेगा, जबतक यह स्पष्ट ना हो कि देरी क्रियान्वयन विभाग/सरकार के कारण हुई है।

यदि देरी क्रियान्वयन विभाग/सरकार के कारण हुई है तो निजी भागीदार निर्माण अवधि में अनुपातानुसार वृद्धि पाने का हकदार होगा। लागत में इज़ाफ़ा निजी भागीदार की एकल ज़िम्मेदारी होगी तथा इसके कारण मूल्य में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी।

13. भूमि को निजी भागीदार को सौंपना

परियोजना की भूमि को निर्माण तथा सुविधाओं के विकास हेतु निजी भागीदार को कन्सेशन की अवधि के लिये दिया जायेगा। तथापि इस भूमि के गिरवी रखने, sub-leasing, या प्रतिभूतिकरण (securitisation) के द्वारा धन जुटाने की अनुमति केवल परियोजना तथा कन्सेशन की अवधि के दौरान ही दी जायेगी। भूमि का स्वामित्व विभाग के पास ही रहेगा।

14. निविदा प्रतिभूति

निविदाओं के साथ बैंक गारंटी के रूप में निविदा की प्रतिभूति राशि भी रहेगी, जो निविदा दस्तावेज़ों में स्पष्ट की जायेगी। सामान्यतः प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत होगी (यदि लागत 50 करोड़ से कम हो)। 50 करोड़ से अधिक लागत होने पर प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत होगी (न्यूनतम 1 करोड़)।

15. Performance प्रतिभूति

सफ़ल निजी भागीदार को बैंक गारंटी के रूप में Performance प्रतिभूति अदा करनी होगी जो अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत होगी। इसे परियोजना का निर्माण पूर्ण होने पर डिस्चार्ज कर लिया जायेगा।

16. कन्सेशन की समाप्ति

16.1 विभाग द्वारा कन्सेशन समाप्त किये जाने पर निजी भागीदार को 100 प्रतिशत देय कर्ज़ [Debt Due] तथा पूंजी अंशदान [Equity Contribution] (परियोजना परिचालन पर किये व्यय के अनुसार जैसा कि निविदा दस्तावेज़ों में दिया गया होगा) के आधार पर भुगतान किया जायेगा। ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि निवेशक को सुकून तथा आश्वासन रहे कि कन्सेशन अनुबंध बिना उचित वजह के ख़ारिज नहीं किया जायेगा।

16.2 निजी भागीदार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा ना करने पर कन्सेशन समाप्त किये जाने पर विभाग निजी भागीदार को देय ऋण [Debt Due] का अधिकतम 90 प्रतिशत तक भुगतान करेगा। व्यावसायिक परिचालन तिथि के पहले निजी भागीदार द्वारा भूल करने पर कन्सेशन ख़ारिज किये जाने पर उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

संलग्निका 'अ'

जन – निजी भागीदारी हेतु क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया

1. मूल जानकारी एकत्र करना

इसके अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी (यदि हो तो), वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं एवं परियोजना के भविष्य/दायरे का विवरण तैयार किया जायेगा।

2. परियोजना की पहचान करना

विभाग को ऐसी परियोजनाओं का चयन करना होगा जिन्हें जन–निजी भागीदारी के दिशानिर्देशों क्रमांक 7 एवं 8 के आधार पर लिया जा सकता है। परियोजना का संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार परीक्षण करने की भी आवश्यकता है।

3. प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना

प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु राज्य–स्तरीय जन–निजी भागीदारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्वीकृति की आवश्यकता तभी होगी यदि परियोजना हेतु VGF की आवश्यकता हो। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संचालनालय संस्थागत वित्त (जन–निजी भागीदारी प्रकोष्ठ), विंध्याचल भवन, म.प्र. सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र को प्रस्तुत करना होगा।

4. Transaction Advisor (सलाहकार) की नियुक्ति

Transaction Advisor (सलाहकार) कोई कम्पनी/व्यक्ति हो सकता है जो मूल जानकारी एकत्र करने में तथा कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक मदद करेगा।

सलाहकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य संलग्निका 'ब' में विस्तार पूर्वक दिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग (जन–निजी भागीदारी प्रकोष्ठ), भारत सरकार ने परिपत्र क्रमांक 2/4/2007-Inf दिनांक 22 अगस्त 2007 के द्वारा 11 चयनित सलाहकारों का पैनल दिया है, जिससे सलाहकारों का चुनाव सरल हो जायेगा। म.प्र. सरकार ने परिपत्र क्रमांक F-1/42(2)/06-PMU/939 दिनांक 18 सितंबर 2007 को उक्त पैनल को स्वीकार कर लिया है तथा सुझाया है कि सलाहकार की नियुक्ति हेतु इन 11 में से किन्हीं 5 सलाहकारों से वित्तीय निविदाऐं आमंत्रित की जा सकती हैं।

सलाहकार की नियुक्ति इस तरह की जा सकती है –

4.1 50 करोड़ तक की परियोजनाऐं

सलाहकार निम्नांकित में से किसी एक पद्धति से नियुक्त किये जा सकते हैं –

a. भारत सरकार की सूची में छांटे गये 11 सलाहकारों में से कम से कम 5 सलाहकारों से वित्तीय निविदा आमंत्रित करके, जैसा कि म. प्र. सरकार के दिनांक 18/09/2007 के परिपत्र क्रमांक 7 में दिया गया है।

b. चूंकि 11 सलाहकारों के पैनल में अंतर्राष्टीय ख्याति प्राप्त बड़े नाम हैं, संभव है कि वह इन छोटी परियोजनाओं के लिये या तो ना आयें या उंचा शुल्क लें। ऐसे में क्रियान्वयन एजेंसी सलाहकार नियुक्ति हेतु खुली निविदा से स्थानीय सलाहकारों को आकृष्ट कर सकती है। 50 करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाओं में सलाहकार नियुक्त करने के लिये प्रादर्श दस्तावेज़ म. प्र. सरकार ने जारी किया है तथा यह वेब साईट पर उपलब्ध है।

4.2 50–250 करोड़ तक की परियोजनाऐं

भारत सरकार की सूची में छांटे गये 11 सलाहकारों में से कम से कम 5 सलाहकारों से वित्तीय निविदा आमंत्रित करके, जैसा कि म. प्र. सरकार के दिनांक 18/09/2007 के परिपत्र क्रमांक 7 में दिया गया है।

4.3 250 करोड़ से अधिक की परियोजनाऐं

बड़ी अथवा जटिल प्रकार की परियोजनाओं के लिये क्रियान्वयन एजेंसी को सलाहकार की नियुक्ति दो चरणों में खुली निविदा के द्वारा करनी होगी। ऐसे में सलाहकार की नियुक्ति हेतु संदर्भ के बिंदु [Terms Of Reference - TOR] क्रियान्वयन ऐजेंसी द्वारा परियोजना की आवश्यकतानुसार तैयार किये जायेंगे।

5. वित्तीय लाभप्रदता का आंकलन

इसे निजी भागीदार द्वारा निवेश पर प्राप्ति [Returns On Investment] के रूप में देखा जा सकता है। इसकी गणना के लिए अनुमानित परियोजना लागत तथा भावी राजस्व पर विचार किया जाएगा।

जन–निजी भागीदारी परियोजना की लाभप्रदता इन पर निर्भर करेगी –

- अनुमानित राजस्व की प्राप्ति तथा उसमें अपेक्षित वृद्धि।
- उपयोगकर्ता से शुल्क की दर।
- परियोजना की अनुमानित लागत जिसमें सिविल कार्य की लागत, निर्माण के दौरान ब्याज, वित्त्पोषण के व्यय, आकस्मिक व्यय, क्रियाशीलता–पूर्व व्यय, आदि (भूमि की लागत को छोड़कर, चूंकि इसका तथा अन्य निर्माण–पूर्व गतिविधियों का भार विभाग को ही वहन करना होगा)।
- परिचालन तथा रखरखाव की लागत।
- VGF की स्वीकृत सीमा।

उक्त बिंदुओं के आधार पर लाभप्रदता दस्तावेज [Profitability Statement], कैश फ्लो, पूंजी पर लाभ [Return On Equity], IRR, Payback Period, आदि की गणना विभिन्न कन्सेशन अवधियों तथा विभिन्न VGF के प्रतिशत पर की जाएगी।

कन्सेशन की अवधि का निर्धारण इन मापदंडों पर किया जाता है –

- कन्सेशन की अवधि के दौरान कर–पश्चात् उचित लाभ हो।
- ऋण अदायगी, ब्याज अदायगी, परिचालन, रखरखाव तथा अन्य भुगतानों के लिए समुचित कैश फ्लो हो।
- IRR 13 प्रतिशत से अधिक हो।
- निजी भागीदार को पूंजी निवेश पर प्राप्ति 15–20 प्रतिशत की सीमा में हो।

सामान्यतः कन्सेशन की अवधि 15 से 30 वर्षों की होती है, जो परियोजना की लाभप्रदता पर निर्भर करेगी। तथापि कुछ परिस्थितियों में, जहां प्राप्तियों में ज़्यादा समय लगने की संभावना हो, लाभप्रदता हेतु लम्बी कन्सेशन की अवधि पर विचार किया जा सकता है।

6. निविदा की प्रक्रिया

निविदा की प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं

अ. एक चरण की निविदा : ऐसी निविदा छोटी परियोजनाओं (50 करोड़ तक लागत) के लिये उपयुक्त है। इसमें योग्यता प्रस्ताव (निविदाकर्ता की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता) तथा वित्तीय प्रस्ताव का आमंत्रण एक साथ परंतु अलग–अलग लिफाफों में प्राप्त किया जाता है। चूंकि परियोजना सरल प्रकृति की है अतः पूर्व–अर्हता [Pre-Qualification] की आवश्यकता नहीं है। निविदा दस्तावेज़ों में निविदाकर्ताओं की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता के मापदण्ड तथा वित्तीय प्रस्ताव के निविदा मापदण्ड स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे। केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले

जायेंगे जो निविदा दस्तावेज़ों के अनुसार तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता पर खरे उतरते हैं। आमतौर पर तकनीकी क्षमता को अनुमानित परियोजना लागत के 100 प्रतिशत परियोजना अनुभव के बराबर लिया जाता है। वित्तीय क्षमता के आंकलन हेतु निविदाकर्ता की Net Worth परियोजना के 25 प्रतिशत तथा विगत 3 वर्षों का औसत Net Cash Accrual परियोजना के 10 प्रतिशत के बराबर होना चाहिये। वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन न्यूनतम लागत के आधार पर किया जायेगा, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ों में उल्लेखित होगा।

ब. दो चरणों की निविदा : ऐसी निविदा बड़ी तथा जटिल परियोजनाओं हेतु अनुशंसित है। इसमें योग्यता प्रस्ताव (निविदाकर्ता की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता) तथा वित्तीय प्रस्ताव का आमंत्रण अलग–अलग चरणों में किया जाता है :

चरण 1 : इसमें केवल योग्यता प्रस्ताव का आमंत्रण किया जाता है, जिसमें निविदाकर्ता की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता को परियोजना के मापदण्डों से मापा जाता है। इस चरण को योग्यता का निवेदन [Request For Qualification – RFQ] अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति [Expression Of Interest – EOI] कहा जाता है। क्षमता निर्धारण के मापदण्ड उपर दी गई कंडिका 6अ के लगभग समान हैं। चूंकि परियोजना जटिल तथा उंचे मूल्य की है, एक निविदा–पूर्व बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें संभावित निविदाकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तथा उनकी अभिरुचि का अंदाज़ा लग जाता है। तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता के आधार पर निजी भागीदारों की छंटनी की जाती है। दो चरणों की निविदा हेतु प्रादर्श दस्तावेज़ भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा मई 2007 में प्रसारित किया गया है जो राज्य सरकारों पर भी लागू होगा। यह निम्नांकित वेब साइट पर उपलब्ध है :

http://www.infrastructure.gov.in/publications.htm

चरण 2 : इसमें, चरण 1 में योग्य पाये गये निजी उद्यमियों से वित्तीय प्रस्ताव मात्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस चरण को प्रस्ताव हेतु निवेदन [Request For Proposal – RFP] कहते हैं। वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन न्यूनतम लागत के आधार पर किया जायेगा, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ों के मापदण्डों में उल्लेखित होगा।

7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेज़ तैयार करना (दो चरणों की निविदा होने पर)

जैसा कंडिका 6 में दिया गया है, दो चरणों की निविदा में संभावित निजी भागीदारों की छंटनी हेतु योग्यता का निवेदन अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। इसमें योग्यता मापदण्ड के अलावा आवेदक का विवरण, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, योग्य

परियोजनाओं का विवरण, कानूनी क्षमता का स्टेटमेंट आदि का उल्लेख होगा। भारत सरकार द्वारा जारी प्रादर्श अभिरुचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेज़ निम्नांकित वेब साइट पर उपलब्ध हैं :

http://www.infrastructure.gov.in/publications.htm

8. अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना

प्रादर्श अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रारूप तथा दस्तावेज के आधार पर विज्ञापन दिया जा सकता है।

9. निविदा–पूर्व बैठक

निविदा–पूर्व बैठक प्रस्ताव की नियत तिथि से पहले निविदा में दिल्चस्पी रखने वाले संभावित निजी भागीदारों के साथ की जाती है। इसमें संभावित निजी भागीदारों के परियोजना तथा निविदा दस्तावेज़ सम्बंधित संभावित प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। निविदा–पूर्व बैठक की आवश्यकता जटिल प्रकार की बड़ी परियोजनाओं के लिये होती है। बैठक के पश्चात् तथा उठाए गए प्रश्नों पर विचार करके निविदा दस्तावेज़ों में ताज़ा आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त बदलाव addendum के द्वारा जारी किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन भी निविदा दस्तावेज़ों का हिस्सा बन जायेंगे।

10. प्राप्त निविदाओं का आंकलन तथा निजी भागीदारों की छंटनी

निविदाओं को निविदा दस्तावेज़ों में उल्लेखित तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता के आधार पर आंका जाएगा। सामान्यत:, तकनीकी क्षमता के लिए परियोजनाओं का अनुभव अनुमानित परियोजना लागत के 100 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। वित्तीय क्षमता के लिए निविदाकर्ता की Net Worth अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए।

यदि निविदा दो चरणों की है तो वह निजी भागीदार, जो आवश्यक तकनीकी क्षमता तथा वित्तीय क्षमता को पूर्ण करते हैं, छांट लिये जाऐंगे।

11. निविदा दस्तावेजों (प्रस्ताव हेतु निवेदन [Request For Proposal - RFP) की तैयारी

निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित की जायेंगी अनुबंध की शर्तें, पार्टीयों के अधिकार तथा जिम्मेदारियां, परियोजना का दायरा तथा विवरण, मानकों का विवरण, क्रियान्वयन की

समय–सारणी, परिचालन तथा रखरखाव के मानक, (कन्सेशन के समय–काल तथा उसके बाद) भी सम्मिलित होंगे। निजी भागीदार अथवा विभाग द्वारा समय से पूर्व अनुबंध समाप्ति की शर्तों का उल्लेख भी किया जायेगा। निविदा दस्तावेजों में परियोजना के जोखिमों को समुचित रूप से सभी पार्टियों में बांट दिया जायेगा। यह दस्तावेज तीन भागों में बनेगा –

- भाग 1 : निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश।
- भाग 2 : Draft Concession Agreement (DCA)
- भाग 3 : DCA के शेड्यूल।

विभाग इन दस्तावेजों को तैयार करवाकर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से कम से कम एक माह पूर्व इच्छुक निविदाकर्ताओं को उपलब्ध करायेगा।

इन दस्तावेज़ों को Transaction Advisor के सहयोग से परियोजना की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाएगा।

12. DCA की तैयारी

DCA में उन शर्तों तथा परिस्थितियों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर परियोजना प्रदान की जायेगी।

इन दस्तावेज़ों को Transaction Advisor के सहयोग से परियोजना की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाएगा।

DCA में निम्नांकित बिंदु शामिल किये जायेंगे –

- कार्य का दायरा।
- कन्सेशन का कार्यकाल तथा निर्माण अवधि।
- मापदण्ड जिनके आधार पर कन्सेशन दिया जायेगा (VGF, प्रीमियम आदि)।
- निविदाकर्ता तथा विभाग की जिम्मेदारियां।
- परियोजना स्थल को निजी भागीदार को सौंपना।
- पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग करना।
- सुरक्षा संबंधी आवश्यकताऐं।
- विभाग द्वारा समर्थन तथा प्रोत्साहन।
- परिचालन तथा रखरखाव की आवश्यकताऐं।
- अप्रत्याशित घटनाओं तथा अनुबंध समाप्ति का भुगतान।

- विवादों के समाधान के प्रावधान।
- अन्य शर्तें तथा परिस्थितियां।

13. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा निविदायें आमंत्रित करना

13.1 निविदा आमंत्रण का विज्ञापन कम से कम एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में जारी किया जायेगा। विशिष्ट अथवा बड़ी परियोजनाओं हेतु अच्छे राष्ट्रीय प्रसार वाले एक व्यावसायिक अखबार में विज्ञापन देने पर भी विचार किया जा सकता है।

13.2 तकनीकी निविदा का मूल्यांकन तथा समापन क्रियान्वयन ऐजेंसी द्वारा गठित समिति करेगी। ऐसे मूल्यांकन उन मापदण्डों पर किये जायेंगे जो निविदा दस्तावेज़ों में उल्लेखित होंगे।

14. निविदा प्रक्रिया की समय–सारणी

निविदा प्रक्रिया की समय–सारणी इस प्रकार है –

संलग्निका 'स'	:	दो चरणों की निविदा
संलग्निका 'द'	:	एक चरण की निविदा

क्रियान्वयन ऐजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह संलग्निकाओं में दिये समय का पालन करेगी।

15. कन्सेशन का कार्यादेश

निविदाओं के मूल्यांकन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार करने के पश्चात् क्रियान्वयन ऐजेंसी सफल निविदाकर्ता को स्वीकृती का पत्र जारी करेगी। इसमें सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर से पूर्व की जाने वाली औपचारिकताओं का उल्लेख होगा। यदि सफल निविदाकर्ता को कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले प्रदर्शन प्रतिभूति [Performance Security] या कोई अन्य प्रतिभूति जमा करनी हो, तो उसका भी उल्लेख स्वीकृती के पत्र में किया जायेगा।

16. स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति, यदि आवश्यक हो

स्वतंत्र सलाहकार परियोजना के पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग का कार्य करेगा। DCA के शेड्यूलों में स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति तथा कार्य के दायरे हेतु विस्तृत प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दिया जायेगा।

17. कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर

निविदाकर्ताओं को निविदा पूर्व ही कन्सेशन अनुबंध का प्रारूप दे दिया जायेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा अनुबंध का प्रपत्र भी शामिल होगा। इस दस्तावेज पर सफल निविदाकर्ता द्वारा गठित कंपनी संबंधित जानकारियां भरने के पश्चात् हस्ताक्षर करेगी तथा इसके पश्चात् क्रियान्वयन करेगी।

18. Conditions Precedent को पूर्ण करना

Conditions Precedent में वह सारी शर्तें आयेंगी जिन्हें निजी भागीदार तथा क्रियान्वयन ऐजेंसी को पूरा करना होगा। यह पूर्णता कन्सेशन के प्रारंभ होने की तिथि (जिसे Appointed Date कहते हैं) के पहले हो जानी चाहिये। सामान्यतः यह समय–काल कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से 180 दिन का होता है।

किसी एक पक्ष द्वारा शर्तें पूरी ना करने पर दूसरे पक्ष को दण्ड लेने का अधिकार है, जिसका वर्णन निविदा दस्तावेजों में किया जायेगा।

Conditions Precedent के उदाहरण के तौर पर निम्नांकित कार्य हो सकते हैं –

<u>विभाग द्वारा</u> –

- स्थल को निजी भागीदार को सौंपना।
- पर्यावरणीय तथा अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करना।
- सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति।

<u>निजी भागीदार द्वारा</u> –

- प्रीमियम का भुगतान।
- प्रदर्शन प्रतिभूति प्रस्तुत करना।
- Escrow तथा Substitution अनुबंध का क्रियान्वयन।
- संबंधित स्वीकृतियों की प्राप्ति।
- वित्तीय अनुबंध का क्रियान्वयन।
- प्रतिनिधित्व तथा वारंटी आदि प्रस्तुत करना।

19. निजी भागीदार द्वारा Financial Closure

इसके पश्चात ही कन्सेशन अवधि प्रारंभ होती है। Financial Closure का तात्पर्य यह कि निजी भागीदार ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुबंध कर लिया है।

- कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर के पश्चात् निजी भागीदार ऋण प्रदायकर्ताओं के सम्मुख जायेगा।
- परियोजना का आंकलन तथा लाभप्रदता अध्ययन तथा संशोधित परियोजना लागत के दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। वित्तपोषण के तथा निविदा के दस्तावेजों में परियोजना की लागत भिन्न हो सकती है।
- परियोजना की लागत के अध्ययन तथा लागत को अंतिम रूप देने के पश्चात् देनदार वित्तपोषण की सिद्धांतः सहमति देंगे।
- ऋण की शर्तें, ब्याज दर, पुनःअदायगी की शर्तें, प्रतिभूति आदि का निर्धारण कर देनदारों से वित्तपोषण दस्तावेजों को पूर्ण किया जायेगा।
- क्रियान्वयन ऐजेंसी को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय Escrow Account Agreement तथा Substitution Agreement का निष्पादन किया जायेगा।
- चयनित निजी भागीदार Financial Closure हेतु Conditions Precedent को पूर्ण करेगा।
- यदि Financial Closure का निष्पादन DCA में दर्शाई समयावधि में पूर्ण नही होता है तो कन्सेशन अनुबंध को दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से रद्द मानते हुऐ निविदा की प्रतिभूति का नगदीकरण कर लिया जायेगा।

भारत सरकार ने "India Infrastructure Finance Company Limited" (IIFCL) का गठन किया है जो अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु दीर्घ–कालीन ऋण उपलब्ध कराती है। क्रियान्वयन ऐजेंसी चयनित भागीदार को IIFCL से दीर्घ–कालीन ऋण लेने का सुझाव दे सकती है।

20. वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (Commercial Operations Date – COD)

इस चरण में निर्माण अवधि पूर्ण हो जाती है तथा परिचालन प्रारंभ हो जाता है।

21. परिचालन तथा रखरखाव

इसके तहत निजी भागीदार कन्सेशन की अवधि में परिचालन तथा रखरखाव संबंधित गतिविधियां निष्पादित करेगा, जिसकी शर्तें DCA में उल्लेखित होंगी।

22. उपयोगकर्ता से शुल्क की वसूली

इसके तहत निजी भागीदार कन्सेशन अवधि के दौरान राजस्व वसूलेगा। शुल्क की दर तथा पूरी हो चुकी परियोजनाओं हेतु इसका संशोधन थोक मूल्य सूचकांक पर आधरित होगा जो निविदा दस्तावेजों में दर्शाई दरों के अनुसार होगा।

23. परियोजना को शासन को हस्तांतरित करना

कन्सेशन अनुबंध की समाप्ति पर निजी भागीदार परियोजना को विभाग को बिना कोई अतिरिक्त कीमत लिये हस्तांतरित कर देगा। परियोजना चालू तथा सूचारू हालत में हस्तांतरित की जायेगी। हस्तांतरण हेतु परियोजना में सभी संपत्तियां तथा संबंधित सुविधाऐं शामिल की जायेंगी। सरकार को हस्तांतरण के समय परियोजना के मानकों का वर्णन कन्सेशन अनुबंध में किया जायेगा।

संलग्निका 'ब'

जन – निजी भागीदारी परियोजना हेतु मूल आंकड़ों की आवश्यकता

(कार्य को Transaction Advisor द्वारा किया जा सकता है)

1. परियोजना का संक्षेप विवरण।
2. कार्य का दायरा।
3. परियोजना के मूलभूत आंकड़े (उपलब्ध सुविधायें)।
4. क्रियान्वयन ऐजेंसी।
5. परियोजना की अनुमानित लागत – सिविल कार्य की लागत जो निजी भागीदार को वहन करनी होगी।
6. अनुमानित लागत (अतिरिक्ति) जो सरकार को निर्माण–पूर्व गतिविधियों हेतु वहन करनी होगी।
7. सुविधाओं का सविस्तार वर्णन जो निजी भागीदार को निर्माण–काल के दौरान प्रदाय/तैयार करनी होंगी।
8. निर्माण का अनुमानित समय।
9. निविदा दस्तावेज़ का मूल्य, निविदा प्रतिभूति तथा Performance प्रतिभूति का मूल्य।
10. निजी भागीदार द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सुविधा के अनुमानित शुल्क का स्वरूप।
11. निजी भागीदार को वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का अनुमान।
12. सुविधाओं का सविस्तार वर्णन, जो निजी भागीदार को परिचालन–काल के दौरान प्रदाय करनी होंगी।
13. परिचालन–काल में निजी भागीदार द्वारा वहन किये जाने वाले अनुमानित व्यय।
14. निजी भागीदार को दिये जाने वाले कन्सेशन/ठेके की अनुमानित समयावधि जिसमें निर्माण–काल भी शामिल है।
15. परियोजना की वित्तीय लाभप्रदता।
16. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निजी भागीदार को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का वर्णन।
17. क्रियान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध सुविधाओं का वर्णन, जैसे कि भूमि की उपलब्धता, आदि।
18. सरकार/आम जन को परियोजना को जन–निजी भागीदारी द्वारा चलाने से होने वाले लाभ का विवरण।

संलग्निका 'स'

निविदा प्रक्रिया की सारणी (दो चरणों की निविदा)

प्राधिकरण इस सारणी का पालन करने का प्रयास करेगा –

अहर्ता का चरण

विवरण	समय
1. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि	RFQ से 15 दिन तक
2. आवेदन–पूर्व बैठक	RFQ से 20 दिन तक
3. प्राधिकरण द्वारा प्रश्नों का उत्तर	RFQ से 25 दिन तक
4. आवेदन की नियत तिथि	RFQ से 35 दिन तक
5. चयन–सूची की घोषणा	आवेदन की नियत तिथि से 15 दिन तक

निविदा का चरण

विवरण	समय
1. निविदा दस्तावेज़ों का विक्रय	[निर्दिष्ट किया जायेगा]
2. निविदा–पूर्व बैठक – 1	[निर्दिष्ट किया जायेगा]
3. निविदा–पूर्व बैठक – 2	[निर्दिष्ट किया जायेगा]
4. निविदा की नियत तिथि	[निर्दिष्ट किया जायेगा]

5. निविदाएं खोलना	निविदा की नियत तिथि पर
6. स्वीकृति पत्र	निविदा की नियत तिथि से 30 दिनों तक
7. निविदा की वैधता	निविदा की नियत तिथि से 120 दिनों तक
8. कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर	स्वीकृति पत्र जारी करने के 30 दिनों तक

संलग्निका 'द'

निविदा प्रक्रिया की सारणी (एक चरण की निविदा)

प्राधिकरण इस सारणी का पालन करने का प्रयास करेगा –

(A) जब निविदा–पूर्व बैठक आवश्यक हो

विवरण	समय
1. निविदा दस्तावेजों का विक्रय	विज्ञापन की तिथि से
2. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि	विज्ञापन की तिथि से 15 दिन तक
3. निविदा–पूर्व बैठक	विज्ञापन की तिथि से 20 दिन तक
4. प्राधिकरण द्वारा प्रश्नों का उत्तर	विज्ञापन की तिथि से 30 दिन तक
5. निविदा की नियत तिथि	विज्ञापन की तिथि से 60 दिन तक
6. निविदाएं खोलना	निविदा की नियत तिथि पर
7. स्वीकृति पत्र	निविदा की नियत तिथि से 30 दिनों तक
8. निविदा की वैधता	निविदा की नियत तिथि से 120 दिनों तक
9. कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर	स्वीकृति पत्र जारी करने के 30 दिनों तक

(B) जब निविदा–पूर्व बैठक आवश्यक ना हो

विवरण	समय
1. निविदा दस्तावेजों का विक्रय	विज्ञापन की तिथि से
2. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि	विज्ञापन की तिथि से 15 दिन तक
3. प्राधिकरण द्वारा प्रश्नों का उत्तर	विज्ञापन की तिथि से 25 दिन तक
4. निविदा की नियत तिथि	विज्ञापन की तिथि से 45 दिन तक
5. निविदाएं खोलना	निविदा की नियत तिथि पर
6. स्वीकृति पत्र	निविदा की नियत तिथि से 30 दिनों तक
7. निविदा की वैधता	निविदा की नियत तिथि से 120 दिनों तक
8. कन्सेशन अनुबंध पर हस्ताक्षर	स्वीकृति पत्र जारी करने के 30 दिनों तक